FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

................................झाबरमल वगैरा बनाम मूराम वगै0..

विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी

ुकदमा ....मुकदमा नम्बर 41/2019 नं. .... सन् ....

…ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26.11.2019	पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2306, 2307, 2420, 2421/1, 2423/1, 2424, 2425 कुल किता 7 कुल रकबा 4.7539 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 2415, 2416, 2417, 2418 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं भूमि के सह खातेदारान् काश्तकारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2019 को [illegible] श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का पटवारी [illegible] के द्वारा सभी खातेदारों की सहमति से सीमाज्ञान मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न [illegible]। प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में इन भूमियों के अन्य सह खातेदारान् ने भी प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमियों की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी–अपनी सहमति दिये जाने बाबत जरिये प्रार्थना पत्र लिखित में अवगत कराया है। प्रार्थी व भूमि के सह खातेदारान् काश्तकारान् की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमियों के पूर्वी तरफ स्थित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 काबिज खातेदार काश्तकार है। जो [illegible] व कब्जा काश्त की कृषि भूमियों की सीमा [illegible] जबरन अतिक्रमण करता आ रहा है। [illegible] भूमियों की	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.30 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

~~झाबरमल बनाम रामूराम वगै0~~
विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी
मुकदमा नम्बर 41/2019

पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2019 के अनुसार करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

वही वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए पत्थरगढ़ी में अंकित खसरा नम्बरान का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है तथा प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पूर्व में दिनांक 01.06.2019 को किये गये सीमाज्ञान की सूचना या जानकारी अप्रार्थी न. 1 को नहीं दी गई थी एंव ना ही सहमति ली गई थी। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि प्रार्थी की भूमि के पूर्वी तरफ स्थित है जिसकी सीमा अप्रार्थी नं. 1 व प्रार्थी की भूमि की सींवडोल है। जिस पर पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 30.11.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्बन्धित गिरदावर व पटवारी हल्का की उपस्थिति में करवाई गई थी। जिस पर गाड़े गए पत्थरों को दिनांक 02.06.2018 रात्रि को प्रार्थी व उसके भाईयों ने मिलकर चोरी छिपे उखाड़कर चोरी कर ले जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 5/2019 अन्तर्गत धारा 447, 379, 427 आई.पी.सी. में पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में दर्ज होने पर मुलजिमान सुरजाराम व छिगनालाल का चालान भी पेश हो चुका है। उक्त फौजदारी प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या 1 श्रीमाधोपुर के समक्ष विचाराधीन है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारान् को प्रकरण हाजा में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र विधि में पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2306, 2420, 2421/1, 2423/1, 2424, 2425 कुल किता 6 कुल रकबा 4.7539

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.30 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

.... बनाम ....

झाबरमल बनाम रामूराम वगै0

कदमा ....विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी नं. .... सन् ....

मुकदमा नम्बर 41/2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 2415, 2416, 2417, 2418 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी चाही गई है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 0.27 हैक्टर व खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 हैक्टर की पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 30.11.2017 को इस न्यायालय के आदेश से जारी होकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जा चुकी थी। प्रार्थी के सह खातेदार काश्तकारान् ने प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में अपनी सहमति भी लिखित में पेश की गई है। जहॉं तक अप्रार्थी की पत्थरगढ़ी को उखाड़ने का प्रश्न है। उसके लिए सम्बन्धित मुलजिमान के विरूद्ध पृथक से फौजदारी प्रकरण दर्ज होकर चालान की कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्थरगढ़ी की कार्यवाही में अंकित खसरा नम्बरान् अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा करवाई गई पत्थरगढ़ी में अंकित खसरा नम्बरान् से भिन्न है। प्रकरण में संयुक्त खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में अन्य सहखातेदारान् के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पत्थरगढ़ी हेतु अपनी सहमति प्रदान किये जाने से मैं प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी ह... ...ारी का बास द्वारा दिनांक 01.06.2019 को किए गए सीमा...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta

Date: 2020.09.30 11:13:11 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	~~झाबरमल बनाम सम्पूराम वगै०~~ विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बर 41/2019 मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2306, 2307, 2420, 2421/1, 2423/1, 2424, 2425 कुल किता 7 कुल रकबा 4.7539 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 2415, 2416, 2417, 2418 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का पटवारी का बास द्वारा दिनांक 01.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक यथासम्भव उभय पक्षकारान् को सूचित करते हुए वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Gupta Date: 2020.09.30 11:13:11 IST Reason: SelfAttested